

न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :::: मांगेराम पूनियां R.T.S.
मिसल नं. :::: 77 / 2017

सरकार बनाम धर्मपालसिंह पुत्र सुगनसिंह, जाति-
राजपूत, निवासी- जवानीसिंह की ढाणी,
जाखोद

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 31.07.2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल धर्मपालसिंह पुत्र सुगनसिंह, जाति-राजपूत, निवासी-जवानीसिंह की ढाणी, जाखोद द्वारा रोही मौजा जाखोद की राजकीय भूमि ख.नं. 216 कुल रकबा 2.10 है 0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.04 है 0 भूमि पर चिकनी मिट्टी व छड़ी डालकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया कि उसने न्यायालय का नोटिस मिलते ही अतिक्रमण हटा लिया है। गैर सायल की ओर से प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं माना जा सकता। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 9 रु. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० सं० 4 के पृष्ठ सं.....²⁵ पर
वर्ष.....²⁰¹⁷⁻¹⁸ में रूपये.....^{9/-} कायम कि.।

राजस्व लेखाकार

²⁵
(मांगेराम पूनियां)
तहसीलदार, सूरजगढ़